न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर.
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 628/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
बजरंगदास पुत्र भानीराम जाति संत निवासी जसोल हाल खेजडी के सामने गांधी चौक सिवाना जिला बाडमेर		1– श्रीमती चिडियादेवी पत्नी तुलसाराम जाति मेघवाल निवासी गांव आसोतरा तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर 2– राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–11–2017 भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 5/2016 अनवान श्रीमती चिडिया देवी बनाम बजरंगदास वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री एन.डी.निम्बावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री सुगनमल परिहार एवं मोहित सिंघवी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 24–8–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 चिडियादेवी ने अधीनस्थ न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बालोतरा के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि सरहद मौजा खेड के मूल खसरा नंबर 305 मे अलग–अलग रकबे की भूमियो का आवंटन किया गया था जिसमे से प्रार्थिनी के हक मे 8 बीघा भूमि का आवंटन किया गया जिसके खसरा नंबर 305/997 दर्ज किये गये, जिसका अंकन नक्शा लट्ठा ट्रेस मे भी किया गया तथा वर्तमान मे उक्त खसरे के नये खसरा नंबर 997/305 अंकित किये गये तथा उक्त भूमि पर बिना किसी रोक टोक के प्रार्थिनी का कब्जा काश्त कायम होना तथा उक्त कृषि भूमि की तारबंदी की होने का उल्लेख किया । प्रार्थियां को आवंटित भूमि जो दो रास्तो पर अवस्थित होने की वजह से पटवारी हल्का ने अनुचित तरीके से विप्रार्थी संख्या 1 (वर्तमान अपीलांट) से मिलावट कर राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस मे प्रार्थिनी के खसरे की तरमीम सुदा भूमि को बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के ही पूर्व मे की गई तरमीम को हटा कर प्रार्थिनी की भूमि पर विप्रार्थी के खसरे की भूमि तरमीम कर दी जिसकी जानकारी प्रार्थिनी को होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः पूर्व अनुसार नक्शे मे तरमीम

दुरस्ती करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज कर पक्षकारो की सुनवाई एवं रेकर्ड के अवलोकन के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–11–2017 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा को वर्तमान मे की गई खसरा नंबर 766/305 की तरमीम को हटा कर रेकर्ड को दुरस्त करने बाबत आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी मौखिक बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम खेड तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 305 मे से 30 बीघा भूमि का आवंटन केम्प तिलवाडा मे आयोजित आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 28–7–72 को किया गया तथा आवंटन पश्चात उक्त आवंटित 30 बीघा भूमि के बट्टा नंबर 305/766 का म्युटेशन सख्या 298 दिनांक 2–4–1976 को स्वीकृत हुआ ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट ने अपने खातेदारी की भूमि की सीमाज्ञान करवाने का प्रार्थन पत्र पेश करने पर तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थी के आवेदन के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति जिसमे उक्त खसरा नंबर 305/766 की तरमीम दर्शाई हुई है, तो दुबारा तरमीम क्यो करवाई जा रही है, दुबारा तरमीम का कोई औचित्य नही है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पो0 चिडियादेवी ने धारा 131, 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा मे प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया जाने पर अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब भी पेश किया गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे जवाब मे लिखे तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए तथा बिना रेकर्ड एवं मौका की जांच करवाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय बिना क्षेत्राधिकार का होने से निरस्त योग्य है, वकील अपीलांट ने अधिनियम की धारा 131 व 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रावधान की ओर ध्यान दिलाया, जो इसप्रकार है– धारा 136 गलतियो का शुद्धिकरणः– भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियो को विहित रिती से शुद्ध कर सकेगा या शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें,

परंतु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दोरान किसी भी अधिकार अभिलेख मे किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही की जायेगी जब तक कि पक्षकारो को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नही दे दिया गया हो ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को केवल लिपिकीय त्रुटि को ही शुद्ध करने का अधिकार था, किन्ही पक्षकारो के अधिकारो को तय करने का अधिकार धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान मे नही होते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी एवं विप्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड के अधिकृत दस्तावेज पेश कर दिये थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच करवाये ही वर्तमान रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 चिडियादेवी ने अपीलांट के पक्ष मे की गई तरमीम को गलत बताते हुए उसे दुरस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया जबकि अपीलांट को अपीलाधीन भूमि का आवंटन वर्ष 1972 मे हुआ था तब से ही अपीलांट अपने आवंटित पूर्व खसरा नंबर 305/997 तथा वर्तमान खसरा नंबर 997/305 की भूमि पर कब्जा काश्त है जबकि रेस्पो0 संख्या 1 चिडियादेवी ने अपीलाधीन भूमि को वर्ष 2007 मे क्रय करके 8 बीघा भूमि की खातेदार बनी है तथा मौके पर रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा खरीद की गई भूमि की लोकेशन राजस्व रेकर्ड एवं बेचान दस्तावेज से मेल नही खाती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट तलब किये एवं रेकर्ड की जांच कराये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे डी.एन.जे.2014 (राज) पेज 171 एवं आर.आर.डी. 2003 पेज 406 की निर्णय नजीरे पेश करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–11–2017 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट अपीलांट अधिवक्ता की बहस के जवाब मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नक्शा किश्तवार ग्राम खेड की प्रमाणित प्रति जो पटवारी हल्का खेड द्वारा दिनांक 7–6–79 को जारी की गई है, जिसमे खसरा नंबर 305/997 तथा खसरा नंबर 305/766 की तरमीम की हुई थी तथा उक्त तरमीम को दिनांक 19–12–80 को पुख्ता की गई, जिसकी प्रतिलिपी प्रभारी अधिकारी (भू अभिलेख) जिला कलेक्टर कार्यालय बाडमेर से जारी की गई

गई थी, उसकी छायाप्रति रेकर्ड पर उपलब्ध है जिससे प्रमाणित होता है कि उक्त अपीलाधीन भूमि की तरमीम पूर्व मे हो चुकी थी तथा उक्त तरमीम दिनांक 7–8–07 तक यथावत रही, जिसके संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नक्शा लट्ठा ट्रेस की छायाप्रति जो दिनांक 7–8–07 को पटवारी हल्का द्वारा जारी की हुई है।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि वर्तमान अपीलांट ने उक्त अपीलाधीन भूमि की तरमीम होते हुए भी दिनांक 17–6–2009 को उप तहसीलदार जसोल के समक्ष एक आवेदन पत्र अपने खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 766/305 की राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम नही होना बताते हुए तरमीम करने बाबत निवेदन किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब कर तहसीलदार पचपदरा ने पटवारी हल्का को लिखे पत्र दिनांक 6–3–09 मे यह उल्लेख किया कि जब प्रार्थी के आवेदन पत्र के साथ पटवारी हल्का खेड द्वारा जारी नक्शा की फोटो प्रति जो दिनांक 5–4–08 को जारी की गई है जिसमे खसरा नंबर 305/766 की तरमीम दर्शाई हुई है तो तरमीम हेतु दुबारा आदेश पारित करने का कोई औचित्य नही है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट बजरंगदास ने खसरा नंबर 305/766 की तरमीम रेस्पो0 संख्या 1 के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 305/997 की जगह बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के ही तथा रेस्पो0 संख्या 1 को सूचित किये बिना करवा ली जिसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 चिडियादेवी ने वर्तमान अपीलांट बजरंगदास को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर तथा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड आदि का अवलोकन कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि राजस्व नक्शा ट्रेस मे हुई त्रुटि को दुरस्त करने के प्रावधान धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे दिये गये है तथा इसके लिए उपखण्ड अधिकारी सक्षम प्राधिकारी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उभयपक्ष को सुनकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रिबेटल बहस मे अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि प्रकरण मे मौका एवं रेकर्ड की जांच नही हुई है, वर्ष 1972 मे आवंटन होने के बाद वर्ष 1976 मे

नामांतरकरण भरा गया तथा मेरे खसरा नंबर 305/766 बने । वर्ष 1979 मे नक्शा कैसे बना तथा वर्ष 1976 मे नामांतरकरण के वक्त खसरा नंबर 305/766 की तरमीम कहां थी, यह परीक्षण का विषय है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नही देखा इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का अध्ययन किया एवं अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरो आदि का भी अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 चिडियादेवी ने धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वर्तमान अपीलांट को पक्षकार बनाया जाकर पेश करने पर उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये । जिस पर विप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान अपीलांट बजरंगदास की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी तथा अधीनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थी संख्या 1 (वर्तमान अपीलांट)की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब भी पेश हुआ, जो शामिल पत्रावली है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–11–2017 के संबंध मे वर्तमान अपील मे अपीलांट का यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व रेकर्ड एवं मौके की जांच करवाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही है । इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो का अपीलाधीन निर्णय मे समावेश करते हुए तथा उन पर अपनी फाईंडिंग देते हुए पारित किया है इसलिए अपीलांट का यह कथन समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध ग्राम खेड की प्रमाणित प्रति जो पटवारी हल्का खेड द्वारा दिनांक 7–6–79 को जारी की गई है, जिसमे खसरा नंबर 305/997 तथा खसरा नंबर 305/766 की तरमीम की हुई थी तथा उक्त तरमीम को दिनांक 19–12–80 को पुख्ता की गई तथा उक्त तरमीम दिनांक 7–8–07 तक यथावत रही, जिसके संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नक्शा लट्ठा ट्रेस की छायाप्रति जो दिनांक 7–8–07 को पटवारी हल्का द्वारा जारी की हुई है, से प्रमाणित है। परंतु उसके पश्चात के राजस्व नक्शा ग्राम खेड मे पुराने खसरा नंबर 305/997 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 997/305 की तरमीम को हटा दिया जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का खेड द्वारा दिनांक 23–12–15 को जारी नक्शे की सत्य प्रति से होती है । नक्शा लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम

को विहित प्रकिया के तहत सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ही परिवर्तित की जा सकती है परंतु वर्तमान मामले मे राजस्व नक्शे मे की गई उक्त दुरस्ती किसके आदेश से की गई ऐसा कोई दस्तावेज या आदेश अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व नक्शो का अवलोकन कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–11–2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24–8–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर